भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1993
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि ऋण तंत्र
1993. श्री पुष्पेंद्र सरोज:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या वर्तमान कृषि ऋण तंत्र जलवायु-सह्य कृषि पद्धतियों की उभरती चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कृषि प्रणालियों को लागत-प्रधान से जानकारी-प्रधान बनाने की दिशा में परिवर्तन, के लिए विचार की जा रही नीतिगत संरचना क्या है;
(ग) नैनो-यूरिया और नैनो-डीएपी जैसे तकनीकी नए-प्रयोगों को मुख्यधारा की कृषि पद्धतियों में एकीकृत करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण क्या है; और
(घ) किसानों द्वारा डेयरी क्षेत्र के समान ही उपभोक्ता मूल्यों का 75-80% प्रदान करने वाली मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए कौन से विशिष्ट उपाय विचाराधीन हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्तमान कृषि ऋण तंत्र को जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों की उभरती चुनौतियों से निपटने, किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तेजी से अपनाया जा रहा है। इन पहलों और नीतियों को ताकि क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि पद्धतियों, अनुकूलता और स्थिरता को बढ़ावा देकर जलवायु-सम्बन्धी चुनौतियों से निपटने में किसानों की सहायता करने के लिए तैयार किया गया है। इन तंत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. **प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए ब्याज सब्वेंशन:** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) - संशोधित ब्याज सब्वेंशन योजना (एमआईएसएस) एक केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना है जो किसानों द्वारा प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दर प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। वित्तीय संस्थानों को 1.5% की अग्रिम ब्याज सब्वेंशन (आईएस) प्रदान किया जाता है, और जो किसान अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, यह योजना पहले वर्ष के लिए पुनर्गठित ऋणों पर ब्याज सब्वेंशन प्रदान करती है, तथा दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दरें लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के लिए, यह योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर, पुनर्गठित फसल ऋणों पर ब्याज सब्वेंशन और पीआरआई को पांच वर्ष तक बढ़ा देती है।

ii. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के माध्यम से कृषि ऋण का समर्थन: वर्तमान कृषि ऋण तंत्र, विशेष रूप से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के माध्यम से, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों में उभरती चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। एआईएफ डिसेन्ट्रेलाइज्ड इंफरास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, जैसे कि फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स, जिससे फसलोपरान्त होने वाले नुकसान में कमी आती है और बिचौलियों की संख्या न्यूनतम होती है। इस योजना के तहत 9% की अधिकतम ब्याज दर पर ऋण, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्वेंशन तथा पात्र उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करती है। एआईएफ जलवायु-अनुकूल पहलों का समर्थन करता है, जैसे कि पीएम-कुसुम के अंतर्गत डिसेन्ट्रेलाइज्ड सौर ऊर्जा संयंत्र, सटीक कृषि उपकरण और जैविक इनपुट उत्पादन, जो जलवायु जोखिमों को कम करने, उत्पादकता में सुधार लाने और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इन उपायों के माध्यम से, एआईएफ कृषि ऋण तंत्र को जलवायु-स्मार्ट निवेश की आवश्यकता के साथ संरेखित कर रहा है, जिससे खेती अधिक अनुकूलित और स्थायी बन रही है।

iii जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए पहल का समर्थन: जलवायु-अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) मॉडल जैसे अन्य कृषि ऋण तंत्रों को जलवायु-अनुकूल फसल की खेती और पशुधन पालन को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाओं में एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईटीसी एमएएआरएस जैसे कृषि फिनटेक प्लेटफॉर्म किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और इनपुट ऋण का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने में सुविधा होती है।

iv. अनुकूलित जलवायु वित्तीय उत्पाद: सार्वजनिक नीतियां जलवायु वित्तीय उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित कर रही हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करती हैं। ये उत्पाद कृषि में जलवायु अनुकूलन बढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) और जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन फंड (एनएएफसीसी) में नाबार्ड की भागीदारी ने कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और अनुकूलन करने के उद्देश्य से परियोजनाओं की ओर महत्वपूर्ण संसाधनों को निर्देशित किया है।

v. कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना: सरकार ने कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि पीएम-कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा प्रचालित सिंचाई प्रणाली, सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और किसानों के लिए ऊर्जा की पहुँच बढ़ती है। इस योजना के तहत स्टैंडअलोन सोलर पंप लगाने और ग्रिड से जुड़े मौजूदा कृषि पंपों को सोलराइज़ करने के लिए 30% से 50% तक की केंद्रीय सब्सिडी दी जाती है।

vi. जलवायु अनुकूलन के लिए नाबार्ड की पहल: जल की कमी से प्रभावित वर्षा आधारित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नाबार्ड वाटर शेड विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल उपलब्धता बढ़ाना, विविध और उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने को बढ़ावा देना, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना तथा कृषि की स्थिति को बेहतर बनाना है। ये इंटरवेंशन वर्षा आधारित खेती से जुड़े जोखिम को कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऋण प्रवाह में सुधार होता है। नाबार्ड, आदिवासी परिवारों को आजीविका गतिविधियों, जैसे कि बाग विकास, पशुपालन और सूक्ष्म उद्यम पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके भी सहायता करता है। यह स्थायी आजीविका में योगदान देता है और डिस्ट्रेस माइग्रेशन को कम करता है।

vii. कृषि में स्वैच्छिक कार्बन बाजार: वीरा वीसीएस प्लेटफॉर्म पर कृषि में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) के तहत 11 परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं, जो स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

(ख) सरकार एग्रीस्टैक नामक कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) विकसित कर रही है, ताकि साक्ष्य आधारित और डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) विकसित की जा सके। किसानों को ज्ञान और नवाचारों से लैस करके, इन प्रयासों का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार लाना, जोखिम कम करना और किसानों को जलवायु परिवर्तनशीलता के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाना है, ताकि दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, ऊपर बिंदु (क) में उल्लिखित पॉलिसी फ्रेमवर्क भी इनपुट-गहन कृषि से ज्ञान-आधारित और जलवायु-अनुकूल खेती में संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है।यह परिवर्तन उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग, किसानों तक सूचना और ज्ञान के प्रसार की बेहतर पहुंच पर जोर देता है। इसमें डिजिटल टूल्स, सटीक कृषि और वास्तविक समय की सलाहकार सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत सरकार इस क्षेत्र में स्थिरता, दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए इनपुट-गहन से ज्ञान-गहन कृषि प्रणालियों में सक्रिय रूप से बदलाव कर रही है। किसान ऋण पोर्टल जैसी प्रमुख पहल इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह पोर्टल 1.89 लाख बैंक शाखाओं को जोड़ता है और किसानों को वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाले बीज आदि जैसी बढ़ती कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इससे सतत, प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल विविध कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करके, जैविक आदानों को बढ़ावा देकर और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके एकीकृत कृषि प्रणालियों का समर्थन करता है। नाबार्ड आईसीएआर, केवीके और अन्य अनुसंधान निकायों के साथ सहयोग करके ज्ञान-प्रधान कृषि को बढ़ावा दे रहा है, तथा सतत कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक खेती और कृषि मशीनीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नाबार्ड डिजिटल कृषि परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है जो कुशल कृषि प्रबंधन के लिए आईओटी, एआई, ड्रोन और भू-स्थानिक उपकरणों जैसी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा, आईसीएआर और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार प्रणाली (एनएआरईईएस) भी अनुकूलित फसलों

के विकास, स्थायी पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों में सुधार करके योगदान दे रहे हैं। सरकार सटीक खेती के लिए जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और एआई के उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने और संसाधनों की बर्बादी को कम करने के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इन संयुक्त प्रयासों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य एक ज्ञान-प्रधान कृषि प्रणाली का निर्माण करना है जो उत्पादकता बढ़ाए, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करे तथा किसानों की आजीविका में सुधार करे।

(ग): नैनो-यूरिया और नैनो-डीएपी जैसे तकनीकी नवाचारों को मुख्यधारा की कृषि पद्धतियों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक दृष्टिकोण तैयार किया गया है:

i. नैनो उर्वरक (नैनो यूरिया/नैनो डीएपी) के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविर, वेबिनार, नुक्कड़ नाटक, क्षेत्र प्रदर्शन, किसान सम्मेलन और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

ii. नैनो उर्वरक संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराया जाता है।

iii. नैनो उर्वरक को उर्वरक विभाग द्वारा नियमित रूप से जारी मासिक आपूर्ति योजना में शामिल किया गया है।

iv. भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के माध्यम से आईसीएआर ने हाल ही में "उर्वरक (नैनो-उर्वरकों सहित) के कुशल और संतुलित उपयोग" पर राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया।

v. विभिन्न आउटरीच अभियानों के दौरान नैनो उर्वरकों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

vi. 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'नमो ड्रोन दीदी' योजना शुरू की है। उक्त योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की नमो ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे ड्रोन के माध्यम से नैनो उर्वरकों का अधिक उपयोग सुनिश्चित हो रहा है।

vii. उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने उर्वरक कंपनियों के साथ मिलकर देश के सभी 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में परामर्श और क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शनों के माध्यम से नैनो डीएपी को अपनाने के लिए एक महा अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, उर्वरक कंपनियों के साथ मिलकर उर्वरक विभाग ने देश के 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के क्षेत्र स्तरीय प्रदर्शनों और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अभियान भी शुरू किया है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण पर केंद्रित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को डेयरी क्षेत्र के समान उपभोक्ता मूल्य का 75-80% प्राप्त हो। एआईएफ का उद्देश्य फसलोपरान्त प्रबंधन और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर को कम करना,

किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में सुधार करना, बर्बादी को कम करना और बाजार पहुंच को बढ़ाना है विशेष रूप से जल्द नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में यह फार्म-लेबल स्टोरेज, लॉजिस्टिक और मूल्य संवर्धन का सहयोग कर इंफ्रास्ट्रक्चर का डिसेंट्रलाइज्ड करता है, बिचौलियों पर निर्भरता कम करता है और किसानों को उपभोक्ताओं के करीब लाता है, । यह फंड सब्सिडी और गारंटी के साथ 9% ब्याज सीमा के साथ किफायती वित्तपोषण प्रदान करता है, जो किसानों और कृषि-उद्यमियों को आधुनिक वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, यह जैविक इनपुट, बीज प्रसंस्करण, कृषि स्वचालन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसी कृषि परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होता है। ये उपाय अधिक किसान-केंद्रित मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए तैयार किए गए हैं, जिससे किसानों को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और उच्च आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जबकि यह सुनिश्चित होगा कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचें। इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचएंडडी) में, डेयरी क्षेत्र का मॉडल, जहां सहकारी समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को उपभोक्ता मूल्य का अधिकांश हिस्सा प्राप्त हो, इस मूल्य श्रृंखला विकास दृष्टिकोण के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

****